राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या 722/2012

में

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2300/2001

श्रीमती अनुपमा सिंह पत्नी श्री नरेश चंद, पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद कुशवाहा, लवकुश नगर, बामनपुरा, बयाना, जिला भरतपुर राजस्थान।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. श्री बद्री नारायण शर्मा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री बी.के.डोसी, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निदेशालय, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
3. श्री एन.के.श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर राजस्थान।
4. रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सरकार सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री राजेन्द्र शर्मा।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर : डॉ. वी.बी. शर्मा, एएजी।

माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>निर्णय सुरक्षित करने की तारीख</u> : **<u>05/01/2022</u>**

<u>निर्णय उच्चारित करने की तारीख</u> : **<u>10/01/2022</u>**

1. यह सिविल अवमानना याचिका, याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 28.04.2008 के निर्णय और आदेश द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित निर्देश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई है:-

> *"प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को एक माह के भीतर 8 जुलाई, 2000 के आदेश संख्या 3 के अनुसरण में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सेवा में शामिल होने की अनुमति दें और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभों का भुगतान तीन माह के भीतर किया जाए। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं"*

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता ने एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या 618/2008 दायर की और उक्त अवमानना याचिका के दौरान, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को 08.05.2008 से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर सेवा में शामिल होने की अनुमति दी, उनके नियुक्ति आदेश दिनांक 08.07.2000 के अनुसरण में। उस समय, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को छह सप्ताह की अवधि के भीतर परिणामी लाभ प्रदान करने का आश्वासन दिया और इसलिए, अवमानना याचिका को दिनांक 19.08.2011 के आदेश के तहत निपटाया गया था, जिसमें कार्रवाई का नया कारण उत्पन्न होने पर नई अवमानना याचिका दायर करने की स्वतंत्रता थी।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थीगण ने उनके आश्वासन का पालन नहीं किया और याचिकाकर्ता को परिणामी लाभ देने में विफल रहे, इसलिए 28.04.2008 के निर्णय का पालन न करने के हिस्से के विरूद्ध, यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

4. प्रत्यर्थीगण ने अवमानना याचिका का उत्तर दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति के परिणामस्वरूप परिणामी लाभ भी दिनांक 25.10.2011 के आदेश द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिसकी प्रति अनुलग्नक सीआर/1 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है।

5. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को पिछली मजदूरी और वास्तविक मौद्रिक लाभ का भुगतान करने के लिए दिनांक 28.04.2008 के निर्णय में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को जुलाई, 2000 से मई, 2008 तक

काल्पनिक आधार पर लाभ दिया गया है और 17.08.2011 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को 26,746/- रुपये की राशि देय पाई गई है। प्रत्यर्थीगण ने 25.10.2011 के चेक क्रमांक 431993 के माध्यम से याचिकाकर्ता को इस राशि की पेशकश की है, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि यह पिछली मजदूरी का एक हिस्सा भुगतान है, जबकि वह अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख अर्थात 08.07.2000 से पूर्ण वेतन की पात्र है। प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 17.08.2011 के आदेश के साथ-साथ चेक प्राप्त करने से याचिकाकर्ता द्वारा इनकार करने के पत्र के साथ चेक की प्रति भी रिकॉर्ड पर रखी है। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.04.2008 के निर्णय का अनुपालन किया गया है और प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई है। इसलिए अवमानना याचिका की कार्यवाही को समाप्त किया जाए।

6. याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि परिणामी लाभों में पिछली मजदूरी के वास्तविक मौद्रिक लाभों का भुगतान शामिल है और इसलिए, हालांकि याचिकाकर्ता को 08.07.2000 के नियुक्ति आदेश के अनुसरण में सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई है, लेकिन वह अपनी नियुक्ति की तारीख से सभी पिछली मजदूरी प्राप्त करने की भी पात्र है। इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी केवल काल्पनिक लाभ प्रदान करके पिछली मजदूरी और वास्तविक मौद्रिक लाभ नहीं देने के कारण 28.04.2008 के निर्णय के हिस्से का पालन न करने के दोषी हैं। अपनी दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ***आयुक्त कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम सी मुददैया*** के मामले में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के ***[2007 (7) एससीसी 689]*** में प्रकाशित निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें पैरा संख्या 34 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है: –

> *हम सचेत हैं कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में भी, सामान्य नियम "काम नहीं तो वेतन नहीं" है। हालांकि, उचित मामलों में, विधिक न्यायालय को सभी तथ्यों को उनकी संपूर्णता में ध्यान में रखना चाहिए और कानून के अनुरूप एक उचित आदेश पारित करना चाहिए। न्यायालय, किसी दिए गए मामले में, यह मान सकती है कि व्यक्ति काम करने के लिए तैयार था, लेकिन अवैध रूप से और गैरकानूनी रूप से ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। इन परिस्थितियों में न्यायालय*

प्राधिकरण को यह देखते हुए कि "जैसे उसने काम किया है" उसे सभी लाभ देने का निर्देश दे सकता है। इसलिए, इसे कानून के पूर्ण प्रस्ताव के रूप में तर्क नहीं दिया जा सकता है कि परिणामी लाभों के भुगतान का कोई निर्देश कानून की न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है और यदि ऐसे निर्देश किसी न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, तो प्राधिकरण उन्हें अनदेखा कर सकता है, भले ही उन्हें देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पुष्टि की गई हो (जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है)। इसलिए अपीलार्थी-बोर्ड की दलील में कोई दम नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

7. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।

8. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जहां तक याचिकाकर्ता को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सेवा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देशों का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है और प्रत्यर्थीगण के अनुसार, याचिकाकर्ता की नियुक्ति के दिनांक 08.07.2000 के आदेश के अनुसार परिणामी लाभ भी दिनांक 25.10.2011 के आदेश द्वारा प्रदान किए गए हैं।

9. दिनांक 25.10.2011 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 01.07.2000 से 07.05.2008 तक की अवधि के लिए वेतन-वृद्धि दी गई थी, हालांकि सैद्धांतिक रूप से और सेवा में याचिकाकर्ता के शामिल होने की तारीख से, वास्तविक मौद्रिक लाभ की गणना 26,746 रुपये के रूप में की गई है और याचिकाकर्ता को इसकी पेशकश की गई थी। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त अवधि के दौरान सेवाएं प्रदान नहीं की हैं, इसलिए कोई वास्तविक मौद्रिक लाभ/पिछली मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, याचिकाकर्ता ऐसी अवधि के लिए वास्तविक मौद्रिक लाभ/पिछली मजदूरी का दावा करने का पात्र नहीं है, जिसके दौरान उसने सेवाएं प्रदान नहीं की हैं और इसलिए 28.04.2008 के आदेश में याचिकाकर्ता को 08.07.2000 से वास्तविक मौद्रिक लाभ/पिछली मजदूरी का भुगतान करने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। दिनांक 28-04-2008 के आदेश में वास्तविक मौद्रिक लाभों का भुगतान करने के लिए कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिए गए थे। प्रत्यर्थीगण ने 08.07.2000 से याचिकाकर्ता की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि और वरिष्ठता देकर "परिणामी लाभ" शब्द को

काल्पनिक लाभ प्रदान करने के लिए माना।

10. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि यदि दो व्याख्याएं संभव हैं, और यदि कार्रवाई असंगत नहीं है, तो अवमानना कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं होगी। कानून के सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए ***राम किशन बनाम तरुण बजाज (2014) 16 एससीसी 204*** में प्रकाशित, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***अनिल रतन सरकार बनाम हीरक घोष*** के मामले में ***[(2002) 4 एससीसी 21]*** में यह राय व्यक्त की है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी संयम से और समाज के व्यापक हित में और देश में न्याय वितरण प्रणाली के उचित प्रशासन के लिए।

उपर्युक्त निर्णय के पैरा संख्या 15 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

> *"15. इस मोड़ पर यह भी देखा जा सकता है कि किसी आदेश की अवज्ञा मात्र 1971 के अधिनियम की धारा 2 (ख) के अर्थ के भीतर "नागरिक अवमानना" के बराबर नहीं हो सकती है, अधिनियम के अर्थ के भीतर आरोप को घर लाने के लिए इच्छा का तत्व एक अनिवार्य आवश्यकता है और अंत में, यदि दो व्याख्याएं संभव हैं और कथित अवमाननाकर्ता की कार्रवाई ऐसी ही एक व्याख्या से संबंधित है-कार्य या कृत्यों को प्रकृति में अन्यथा दूषित नहीं माना जा सकता है। यदि जानबूझकर किए गए आचरण की प्रकृति के संबंध में इस मामले में संदेह उठाया जाता है, तो अवमानना याचिका में सफलता का सवाल ही नहीं उठता।*

12. **खंडपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या 1520/2019** में ***श्रीमती ललिता शर्मा बनाम डॉ आर वेंकेश्वर और अन्य*** में इस न्यायालय की खंडपीठ ने 20.12.2021 को तय की गई अन्य संबंधित अवमानना याचिकाओं में कहा गया है कि क्या याचिकाकर्ता को पदोन्नति की तारीख से या पहले की तारीख से वास्तविक मौद्रिक लाभ/पिछली मजदूरी देय होगी, यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए याचिकाकर्ता को कानून में उचित उपाय का लाभ उठाना चाहिए और अवमानना कार्यवाही में विवादित मुद्दे का नया निर्णय

स्वीकार्य नहीं है।

13. आयुक्त, कर्नाटक आवास बोर्ड (सुप्रा.) के मामले में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा संदर्भित, रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकलपीठ द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें बोर्ड को याचिकाकर्ता की वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने और उसे अन्य परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। चूंकि परिणामी लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिए गए थे, इसलिए उन्होंने इसके संबंध में अवमानना याचिका दायर की लेकिन इसे अपास्त कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने परिणामी लाभों, वेतन के बकाया के भुगतान की मांग करते हुए एक ठोस याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि वह अपनी वरिष्ठता के पुनः असाइनमेंट के संबंध में अपनी रिट याचिका को अनुमति देने के बाद उसी की पात्र है और प्रार्थना की गई थी कि बोर्ड को उसकी रिट याचिका में दिए गए निर्णय के अनुसार मौद्रिक लाभ देने का निर्देश दिया जाए। बाद की नई रिट याचिका में, उच्चतम न्यायलय ने ऊपर प्रस्तुत पैरा संख्या 34 में प्रतिपादित कानून के सिद्धांत पर विचार किया। इसलिए, उस मामले में रिट क्षेत्राधिकार में ठोस और अलग कार्यवाही के लिए विवाद का एक नया निर्णय लिया गया था और अवमानना की कार्यवाही में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून का उपरोक्त सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, जहां न्यायालय अवमानना याचिका में कार्यवाही पर विचार कर रही है।

14. इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता के उस अवधि के लिए वास्तविक मौद्रिक लाभ/पिछली मजदूरी के भुगतान के दावे के दौरान, जिसके दौरान उसने सेवाएं प्रदान नहीं की हैं, अवमानना कार्यवाही में निर्णय लेने योग्य नहीं है और प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को ऐसे मौद्रिक लाभों का भुगतान न करने को 28.04.2008 के आदेश का अनुपालन न करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। विशेष रूप से जब 08.07.2000 से याचिकाकर्ता को वास्तविक मौद्रिक लाभ/पिछली मजदूरी का भुगतान करने के लिए स्पष्ट शब्दों में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है। इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता के उस अवधि के लिए वास्तविक मौद्रिक लाभ/पिछली मजदूरी के भुगतान के दावे के दौरान, जिसके दौरान उसने सेवाएं प्रदान नहीं की हैं, अवमानना कार्यवाही में निर्णय लेने योग्य नहीं है और प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को ऐसे मौद्रिक लाभों का भुगतान न करने को 28.04.2008 के आदेश का अनुपालन न करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। विशेष रूप से जब

08.07.2000 से याचिकाकर्ता को वास्तविक मौद्रिक लाभ/पिछली मजदूरी का भुगतान करने के लिए स्पष्ट शब्दों में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है। याचिकाकर्ता को 25.10.2011 के आदेश को कानून में उचित और अलग कार्यवाही द्वारा चुनौती देनी चाहिए थी, अगर वह उस अवधि के लिए पिछली मजदूरी/वास्तविक मौद्रिक लाभ के लिए पात्रता का दावा करने के लिए इच्छुक थी, जिसके दौरान उसने सेवाएं प्रदान नहीं की थीं। दिनांक 25-10-2011 का आदेश पारित करने के बाद, प्रत्यर्थीगण को दिनांक 28-04-2008 के आदेश का अनुपालन न करने के लिए कथित चूककर्ता नहीं माना जा सकता है और इस मामले को देखते हुए, प्रत्यर्थीगण को दिनांक 28-04-2008 के आदेश का अनुपालन न करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

15. तदनुसार, अवमानना याचिका तदनुसार अपास्त की जाती है। नोटिस निर्मुक्त किए जाते हैं।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

SAURABH

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।